2018-19

MAH/MUL/03051/2012
ISSN-2319 9318

Vidyawarta®

Peer Reviewed International Refereed Research Journal

Issue-31, Vol-08 July to Sept. 2019

Editor

Dr.Bapu G.Gholap

45

वित्तीय समावेशन में सहायक इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक

डॉ. नरेन्द्र पाल सिंह[1]

एसोसिएट प्रोफेसर,
वाणिज्य संकाय,
साहू जैन कॉलेज नजीबाबाद–246763

डॉ. सुनील पंवार[2]

एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग,
एम.पी.जी. कॉलेज, मसूरी (उत्तराखंड)

सारांश

बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को बैंक खाते खुलवाने वित्तीय साक्षरता प्रदान करने तथा अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़े जाने के उद्देश्य के साथ ही वित्तीय समावेशन की शुरूआत हुई। सरकार ने हर गरीब, किसान और उपेक्षित व्यक्ति तक बैंकों की सुविधा पहुँचाने के लिए एक नया बैंक 'इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक' एक सितंबर 2018 को शुरू किया है। इस बैंक के शुरू होने से डाकिया के माध्यम से बैंक की सुविधा हर घर तक पहुँच जाएगी। यह एक ऐसी सामाजिक क्रांति का आगाज है जो अंततः सभी भारतीयों को एक साझा वित्तीय, आर्थिक और डिजिटल धरातल पर लाने में सफल होगी। बैंकिंग सेवाओं की कार्यप्रणाली को जो लोग जटिल समझकर दूर रहते थे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक उन लोगों तक भी बैंकिंग सेवा पहुँचाने का एक प्रबल प्रयास है। यह बैंक, वित्तीय सेवा कार्यप्रणाली को सुविधाजनक और सर्वसुलभ बनाने के लिए डाककर्मियों की प्रत्यक्ष सहायता भी उपलब्ध करा रहा है। इस बैंक की कार्यप्रणाली वित्तीय समावेशन में आने वाली सभी बाधाओं से मुक्त है। डाकघर के वर्तमान खाताधारकों को भी इस बैंक की सुविधा स्वतः प्राप्त हो गई है। यह बैंक डिजिटल वित्तीय परिवेश के विकास में सहायक है। साथ ही इसकी कार्यप्रणाली ग्राहकोन्मुखी और ग्राहकसेवा के अनुभव को अच्छा रखने पर केंद्रित है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के कार्यशील होने के बाद से ही यह परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है. इस बैंक के डेढ़ लाख से अधिक सुविधा केंद्रों में से 90 प्रतिशत से भी अधिक केंद्र ग्रामीण भारत में खोले गए हैं इसके ढाई लाख से अधिक एजेंट बैंकिंग सुविधा को हर घर तक पहुँचा रहे हैं। यह बैंक विश्व का सबसे बडा बैंकिंग नेटवर्क है जो मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में डाकिया के माध्यम से योजना चलाकर नागरिकों को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा सकता है। बस आवश्यकता इस बात की है कि डाकिया, बैंकिंग के इस कार्य को ईमानदारी एव कर्तव्यनिष्ठा के साथ अंजाम दे साथ ही इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का भी कर्तव्य एवं दायित्व है कि वह डाकिया को उचित सुरक्षा मुहैया कराए।

बैंकों की स्थापना के शुरूआती दौर मे बैंक को केवल अमीर लोगों का स्थान माना जाता था, जहाँ सीमित आय वाले या अपेक्षाकृत गरीब लोग बैंक परिसर के अंदर जाने में भी संकोच करते थे और किसी के पास बैंक खाता होना उसकी संपन्नता का सूचक होता था। सेठ और साहूकारों की सूदखोरी से त्रस्त जन की अपेक्षा, समृद्ध वर्ग को भारतीय बैंकों ने लक्ष्य बनाकर अपने कारोबार शुरू किए।आजादी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक को दिएगए विनियामक अधिकार ने बैंकिंग क्षेत्र में एकरूपता लाने का कार्य किया लेकिन इन कदमों ने भी बैंकों के दरवाजे आम आदमी के लिए पूरी तरह नहीं खोले। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ ही बैंकों को सामाजिक कल्याण के कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई और अपेक्षा की गई कि वे सरकार एव

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने कारोबार के तंत्र को समावेशी बनाएंगे और अधिक से अधिक लोगो को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु प्रयास करेंगे। बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को बैंक खाते खुलवाने वित्तीय साक्षरता प्रदान करने तथा अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़े जाने के उद्देश्य के साथ ही वित्तीय समावेशन की शुरूआत हुई। आजादी के सात दशक बीतने के बाद भी देश की काफी जनसंख्या की पहुँच आज भी औपचारिक वित्तीय क्षेत्र तक नहीं है। देश के गावोंकी स्थिति और भी दयनीय है क्योंकि सुदूरवर्ती अधिकांश गांवों में आज भी बैंक शाखाए नहीं हैं जिससे ग्रामीणों की देशी साहूकारों पर निर्भरता बरकरार है। यही कारण है कि आज ग्रामीण भारत के वित्तीय समावेशन को देश मेंसमावेशी विकास की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक माना जा रहा है। हर परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विकासोन्मुखी प्रधानमंत्री जन–धन योजना का शुभारंभ किया गया है। बैंक खाता उपलब्ध करा देने से गरीबी खत्म हो जाने की गारंटी तो नहीं है किंतु यह उनके विकास में सहायक अवश्य है। आज भी ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में लोग बैंकिंग सुविधाओं का अभाव महसूस करते हैं।

वित्तीय समावेशन को हमारे देश में प्रायः बैंक खातों तक पहुँच के रूप में देखा जाता है जबकि इसमें बैंकिंग के अलावा अन्य वित्तीय सेवाओं जैसे पेंशन, बीमा व पूंजी बाजार के उत्पादों और सेवाओं से वंचित लोगों को उनकी परिधि में लाना भी शामिल है। कम आय व कमजोर वर्गों के लिए ऋण व वित्तीय सेवाओं तक सुगमतापूर्वक पहुँच ही वित्तीय समावेशन है। देश के लगभग छः लाख गांव तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए पारंपरिक बैंकिंग की अवधारणा भी सामने आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके दरवाजे पर भी बैंकिंग सुविधा प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें अधिकांश उन लोगों को शामिल किया गया है जो निरक्षर या कम पढ़े लिखे हैं, दूरस्थ या अतिदुर्गम एवं बैंक सुविधाओं से वंचित क्षेत्र में रहते हैं, खाता खुलने के बाद उसका संचालन नहीं जानते, बैंकिंग क्षेत्र में सामान्य जानकारी एवं बैंक शाखाओं में जाने का साहस नहीं रखते, इस बात से भी अज्ञान रहते हैं कि उन्हें बैंक खाते के द्वारा कितना और किस प्रकार लाभ मिल सकता है साथ ही उन्हें यह भी नहीं पता होता कि किस काम के लिए बैंक में किस अधिकारी या कर्मचारी से संपर्क करना है। सामान्यतः कृषि अथवा मजदूरी के कामों में उनके पास बैंक शाखाओं के कार्यशील घंटों में जाने का समय ही नहीं होता वेबैंकों से संबंध रखने में रुचि नहीं रखते क्योंकि ये पीढ़ियों से ऋणग्रस्तता का भार उठाकर बचत नहीं कर पाते हैं। दिन–प्रतिदिन बैंकों की कार्यप्रणाली में हो रहे परिवर्तनो को आसानी के स्थान पर परेशानी के रूप में देखते हैं, बैंकों में अधिकांश कार्य अंग्रेजी भाषा में होने के कारण जो इनकी समझ से बाहर रहता है उनसे डरते हैं औरबैंकों में छोटे एवं सीमांत ग्राहक होने के कारण इनको शाखाओं में सम्मान की दृष्टि से भी नहीं देखा जाता है। अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए बैंकों से ऋण लेने के बजाए पास के साहूकार एवं महाजन से ऋणलेना आसान और बेहतर समझते हैं, रूढ़िवादी मानसिकता के चलते अपनी छोटी–छोटी बचतों को नकद रूप में रखना अधिक सुरक्षित मानते हैं, नकदी के व्यवहार को अच्छा समझते हैं और इसके विकल्पों तथा नकदी रहित लेन–देनों से या तो अंजान रहते हैं या फिर परेशानी के रूप में देखते हैं। बैंक सेवाओं को अपनी पहुँच से बाहर की मानसिकता बना लेते हैं, अज्ञानवश अथवा संकोच के चलते अपनी आवश्यक आवश्यकताओं को भी सामने नहीं लाते। सरकार और बैंकों द्वारा उनके लाभ के लिए बनाई गई योजनाओं की जानकारी भी नहीं रखते। अतः ऐसे लोगों को बैंक खाते से जोड़ना तथा उन्हें लाभ पहुँचाना वित्तीय समावेशन का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए।

सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 में पोस्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के संबंध में संकेत दिया गया था और माना गया था कि यदि ऐसा हुआ तो डाक विभाग के गांव–गांव में फैले तंत्र का इस्तेमाल वित्तीय समावेशन में किया जा सकेगा। सरकार ने हर गरीब, किसान और अपेक्षित व्यक्ति तक बैंकों की सुविधा पहुँचाने के लिए

MAH MUL/03051/2012
ISSN: 2319 9318

Vidyawarta®
Peer-Reviewed International Journal

July To Sept., 2019
Issue-31, Vol-08

एक नया बैंक 'इंडिया पोस्ट [illegible]' एक सितंबर 2018 को शुरू किया है। इस [illegible] शुरू होने से डाकिया के माध्यम से बैंक की सुविधा [illegible] घर तक पहुँच जाएगी। बैंकिंग सुविधा की इस होम डिलीवरी के जरिए सरकार समाज में हाशिए पर [illegible] आखिरी व्यक्ति को वित्तीय मुख्यधारा में [illegible] करने में सफल होगी। अधिकांश भारतीय नागरि[illegible] [illegible]-धन खाते से जोड़ने के सफल प्रयास के बाद [illegible] [illegible]कार बैंकिंग सेवाओं को जनता के द्वार तक पहुँचा[illegible] है जिसको डाककर्मियों के माध्यम से देश के कोने-कोने में अंजाम दिया गया है क्योंकि डाकिया की [illegible] [illegible] नागरिक तक होती है और वह सरकार का [illegible] भी होता है। जन-धन योजना, यूनिक प[illegible] [illegible] [illegible], मोबाईल और पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम [illegible] [illegible] का हर नागरिक बैंकिंग सेवा से जुड़ गया है। [illegible] एक ऐसी सामाजिक क्रांति का आगाज है जो [illegible] [illegible] भारतीयों को एक साझा वित्तीय, आ[illegible] [illegible] [illegible] धरातल पर लाने में सफल होगी। बैंकिं[illegible] [illegible] की [illegible]र्यप्रणाली को जो लोग जटिल समझकर [illegible] [illegible]या पोस्ट पेमेंट्स बैंक उन लोगों तक भी [illegible] [illegible] [illegible]हुँचाने का एक प्रबल प्रयास है। इस बैंक के [illegible] एक सस्ता, सुरक्षित और सरल डिजिटल भुगतान भी [illegible] किया गया है। जिससे प्रत्येक [illegible] [illegible] डिजिटल मुख्यधारा में शामिल हो सके[illegible]। [illegible] [illegible]ीय सेवा कार्यप्रणाली को सुविधाजनक [illegible] [illegible] [illegible]नाने के लिए डाककर्मियों की प्रत्यक्ष [illegible] [illegible]ब्ध करा रहा है। इस बैंक की कार्य[illegible]ाली [illegible] [illegible]ावेशन में आने वाली सभी बाधाओं [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]कघर के वर्तमान खाताधारकों को भी [illegible] [illegible] [illegible]या स्वतः प्राप्त होगईहै। यह बैंक [illegible] [illegible] [illegible]रिवेश के विकास मे सहायक है। [illegible] [illegible] [illegible]र्यप्रणाली ग्राहकोन्मुखी और ग्राहकरो[illegible] के [illegible] [illegible] अच्छा रखने पर केंद्रित है। यह [illegible] वर्त[illegible] पो[illegible] व्यवस्था और नई तकनीक का [illegible] [illegible] [illegible] बैंकिंग सुविधा की पहुँच को कई [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]र्तमान में बैंकिंग शाखाओं का एक [illegible] [illegible] [illegible] एटीएम बूथों का लगभग छठा हिस्सा [illegible] [illegible] अंतर्गत ग्रामीण भारत में स्थित है। [illegible] [illegible] [illegible]बैंक के कार्यशील होने के बाद से ही यह परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है, इस बैंक के डेढ़ लाख से अधिक सुविधा केंद्रों में से 90 प्रतिशत से भी अधिक केंद्र ग्रामीण भारत में खोले गए हैं इसके ढाई लाख से अधिक एजेंट बैंकिंग सुविधा को हर घर तक पहुँचा रहे हैं।यह बैंक विश्व का सबसे बड़ा बैंकिंग ,नेटवर्क है जो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से मनरेगा में प्रदत्त मजदूरी, छात्रवृत्तियां, सामाजिक कल्याण योजनाएंतथा अन्य सभी प्रकार की सरकारी सब्सिडी भी प्रत्येक ग्राहक तक अब डाकिए के माध्यम से प्राप्त हो सकेंगी। आने वाले समय में उद्यमियों और व्यापारियों के लिए भी यह बैंक अपनी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराएगा। डाक उत्पाद, ई-कॉमर्स व्यावसायिक उत्पादों की कैशऑन डिलीवरी का डिजिटल पेमेंट भी संभव हो गया है। छोटे दुकानदार, लघु उद्यमी और असंगठित क्षेत्र के व्यापारी भी इस बैंक की वित्तीय सेवाओं से लाभांवित हो रहे हैं। इस बैंक की शुरूआत में डाकघरों की 650 शाखाएं और 3250 सेवाकेंद्र अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 31 दिसंबर 2018 से इस बैंक ने पूरी तरह से डाक विभाग के नेटवर्क का इस्तेमाल शुरू कर दिया है जिसके दायरे में देश के कोने-कोने में स्थित 1.55 लाख डाकघर एवं सेवाकेंद्र और तीन लाख से अधिक पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक शामिल हो गए हैं। इसके चलते देश के ग्रामीण बैंक शाखाओं की संख्या 49 हजार से बढ़कर 1 लाख 30 हजार हो गई है, जोआने वाले समय में वित्तीय समावेशन एवं डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा और इससे निश्चित रूप से हमारे सामाजिक एवं आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को बल मिलेगा।

पोस्टमैन जब एक बैंकर की भूमिका में होगा तो वह बैंकिंग सुविधाओं से वंचित अथवा अल्प बैंकिंग सुविधाओं वाले करोड़ों भारतीयों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराएगा। इस बैंक का समग्र उद्देश्य आम जनता के लिए सबसे अधिक पहुँच वाला किफायती और भरोसेमंद बैंक बनना है जो सरकार के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार साबित

होगा। इस बैंक द्वारा आज भी अनेक सेवाएं दी जा रही हैं जिसमें बचत एवं चालू खातों संचालित करना, धन अंतरण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, बिल एवं जनोपयोगी भुगतान सेवाएं और उद्यम एवं व्यापार संबंधी भुगतान सम्मिलित हैं। इस बैंक द्वारा तीसरे पक्ष की तरफ से भी कई वित्तीय सेवाए उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें छोटे ऋण, बीमा, निवेश और डाकघर बचत खाता शामिल हैं। इस बैंक द्वारा पोस्टमैन को पॉइंट ऑफ सेल मशीन भी उपलब्ध कराईगई है, जिससे ग्राहक अपने मोबाईल फोन और डीटीएच रिचार्ज, बिजली, पानी एवं गैस आदि के बिल सहित बीमा किस्तों का भुगतान भी कर सकते हैं। इस बैंक द्वारा जनता तक आने जाने के बारे में बताने के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम भी समय–समय पर चलाया जा रहा है ताकि लोगों को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहन मिल सके।

वित्तीय समावेशन के द्वारा देश में विशेष रूप से गरीबी बेरोजगारी एवं ऋणग्रस्तता की समस्याओं का सामना बेहतर रूप से किया जा सकता है जिसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण है। वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीण क्षेत्रों को शत–प्रतिशत बैंकिंग दायरे में लाना है, जो इसके बिना अधूरा दिखाई देता है। मात्र बैंक खाता खोलना और उसके साथ एटीएम कार्ड दे देना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी देना तथा उनके बारे में जागरूक करना बेहद जरूरी है। यह कार्य सभी ग्रामीण नागरिकों को वित्तीय शिक्षा मुहैया कराकर ही किया जा सकता है। यह बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में डाकिया को [illegible] की योजना चलाकर नागरिकों को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा सकता है। बस आवश्यकता इस बात की है कि डाकिया, बैंकिंग के इस कार्य को ईमानदारी एवं कर्तव्यनिश्ठा के साथ अंजाम दे साथ ही इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का भी कर्तव्य एवं [illegible] है कि डाकियाको उचित सुरक्षा मुहैया कराए। सरकार भी महसूस करने लगी है कि अब छोटे बैंकों का विलय कर बड़े बैंकों की आवश्यकता है, ऐसे में भारत की नई बैंकिंग जिम्मेदारी बैंकों के निजीकरण से [illegible] भी [illegible] नहीं है। यह जिम्मेदारी मजबूत सरकारी बैंकों के द्वारा ही निभाई जा सकती है, जिसके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक सही एवं खरा साबित होगा। जिसकी आज अहम् आवश्यकता थी।

संदर्भ

1. सिंह नरेन्द्र पाल, सिंह लोकेंद्र, गांव के विकास में वित्तीय समावेशन की भूमिका, कुरूक्षेत्र, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, अगस्त 2015, पृष्ठ संख्या 32–37

2. चौधरी निधि, ग्रामीण भारत का वित्तीय समावेशन–समावेशी विकास की अनिवार्यता, बैंकिंग चिंतन–अनुचिंतन, भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई, अप्रैल जून 2013, पृष्ठ संख्या 37–42

3. शर्मा रमाकान्त, अब नहीं चलेगी बैंकों की मनमानी, तथ्य भारती, 46 तिलक नगर कोटा, अगस्त 2017 पृष्ठ संख्या 30–31

4. सिंह राहुल कुमार, जनधन से जन सुरक्षा तक बैंकों की भूमिका, बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन, भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई,जुलाई–सितंबर 2016,पृष्ठ संख्या 17–20

5. विभिन्न तिथियों से संबंधित समाचार–पत्र अमर उजाला, दैनिक जागरण, जनवाणी, हिन्दुस्तान।

6- www.rbi.org.in